उत्तर प्रदेश शासन

कृषि अनुभाग-5

संख्या-30/2021/1643603(2)/12-5099/12/2020

लखनऊ:: दिनांक:: 02 जुलाई, 2021

शुद्धि-पत्र

शासनादेश संख्या-27/2021/1643603/12-5099/12/2020, दिनांक 25 जून, 2021 के प्रस्तर-1 पर अंकित रू0 142.25 लाख के स्थान पर रू0 142.025 लाख (रूपये एक करोड़ बयालिस लाख दो हजार पॉच सौ मात्र) पढ़ा जाये।

शासनादेश दिनांक 25 जून, 2021 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश दिनांक 25 जून, 2021 की शर्ते यथावत रहेंगी।

विद्याशंकर सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-30(1)/2021/1643603(4)/12-5099/12/2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. समस्त मण्डलायुक्त को इस आशय से प्रेषित कि उक्त की प्रतियां अपने अधीनस्थ समस्त जिलाधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि वे अपने जनपद के समस्त जनप्रतिनिधियों (मा0 मंत्रीगण, मा0 सांसद, मा0 विधायक आदि) को शासनादेश की प्रतियां उपलब्ध करने का कष्ट करें ताकि जनप्रतिनिधियों द्वारा योजना का लाभ पात्रों को दिलाये जाने में सहयोग किया जा सके।
5. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
7. अपर कृषि निदेशक, भूमि संरक्षण, कृषि भवन, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।